उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 369/2021/1952/41-2021-04 (सा0)/2020

लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2021

संख्या-352/2021/आई/76303/41-1002(099)/1/2021 दिनांक 02 जुलाई, 2021

का शुद्धि पत्र

जनपद अयोध्या में नयाघाट के निकट पूर्व से बने प्रवेश द्वार के ध्वस्तीकरण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-352/2021/आई/76303/41-1002(099)/1/2021 दिनांक 02 जुलाई , 2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-8 में त्रुटिवश क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर /आजमगढ मण्डल गोरखपुर अंकित हो गया है, जबकि इसके स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अयोध्या अंकित होना चाहिए था। महानिदेशक पर्यटन के पत्र सं0-1235/6-1-1(589)/2015 दिनांक 09 जुलाई 2021 द्वारा उक्त त्रुटि को इंगित करते हुये शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः शासनादेश संख्या-352/2021/आई/76303/41-1002(099)/1/2021 दिनांक 02 जुलाई, 2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-8 पर अंकित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर /आजमगढ मण्डल गोरखपुर के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अयोध्या अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 02 जुलाई , **2021** उक्त सीमा तक एतदद्वारा संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4,5,6,7,8,10,11 एवं 12 को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4- जिलाधिकारी अयोध्या।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 ,लोक निर्माण विभाग - अयोध्या
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/ आजमगढ मण्डल,गोरखपुर।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अयोध्या।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in